प्रवेश निर्देशिका

2023–2024

राजकीय महाविद्यालय नैनबाग

टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–249186

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल से संबंद्ध

Government Degree College Nainbagh

N. G. Road Nainbagh (Tehri Garhwal)-249186, Uttarakhand

(Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Badshahithaul, Uttarakhand)

Website: http://gdcnainbagh.in **Email:** principalgdcnainbagh2001@gmail.com

अनुक्रमणिका

1. **अध्याय 01—महाविद्यालय परिचय** **03—07**
   - **1.1** प्राचार्य संदेश
   - 1.2 महाविद्यालय संदृष्टि, लक्ष्य व बुनियादी मूल्य,
   - 1.3 महाविद्यालय संक्षिप्त परिचय
   - 1.4 महाविद्यालय में उपलब्ध विषय व सीट
2. **अध्याय 02—महाविद्यालय हेतु सामान्य प्रवेश नियम** **08—11**
3. **अध्याय 03—महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अर्हता/ योग्यता सूची निर्धारण के नियम** **12—16**
4. **अध्याय 04—महाविद्यालय के विशेष निर्देश व सुविधाएं** **17—24**
   - 4.1 अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम
   - 4.2 छात्रों हेतु सुविधाएँ
   - 4.3 प्रवेश शुल्क
   - 4.4 शैक्षणिक कैलेण्डर व ऐक्टिविटी कैलेण्डर
5. **अध्याय 05—राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित निर्देश** **25—35**

अध्याय –01
महाविद्यालय परिचय
1.1 प्राचार्य संदेश

राजकीय महाविद्यालय नैनबाग टिहरी गढ़वाल में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु हार्दिक बधाई। जहाँ माध्यमिक शिक्षा छात्रों को अध्ययन व कार्य करने की आदतों को विकसित व मजबूत करने में सहयोग करती है, वहीं उच्च शिक्षा उससे भी आगे छात्रों की बौद्धिक क्षमता व प्रतिभा को विकसित करते हुए समाज में उपस्थित अवसरों को ग्रहण करने हेतु मार्गदर्शित करती है।

उच्च शिक्षा के इस प्रांगण में सीमित संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पारंपरिक विधियों के साथ–ही–साथ पाठ्यक्रम अध्यापन हेतु नवीनतम ऑनलाइन व आई0सी0टी0 युक्त विधियों का समावेश किया गया है। छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा विकास हेतु पाठ्य सहगामी व पाठ्येत्तर कार्यकलापों को समय–समय पर आयोजित किया जाता है। महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। छात्रों को समाज से जोड़ने व सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने हेतु विभिन्न सामाजिक कार्यों में भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित करायी जाती है। इसके अतिरिक्त छात्रों को मेंटरशिप योजना, कैरियर व काउंसलिंग सेल, क्रीड़ा, एन0एस0एस0 व विभागीय परिषद के माध्यम से भी विभिन्न अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

आशा है कि इस महाविद्यालय में अध्ययन की अवधि में आप सभी छात्र–छात्राएं समय का सदुपयोग करते हुए अपनी प्रतिभा का अधिकतम विकास करने में समर्थ होंगे व जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में समाज में प्रवेश करेंगे।

शुभकामनाओं सहित

प्रोफेसर (डॉ0) सुमिता श्रीवास्तव
प्राचार्या

1.2 संदृष्टि, लक्ष्य व बुनियादी मूल्य (विज़न, मिशन व कोर वैल्यूस)

संदृष्टि

वैश्विक दक्षता और स्थानीय आवश्यकताओं हेतु समानता और समावेशीकरण युक्त समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए कुशल व जिम्मेदार नागरिक तैयार करना।

लक्ष्य

1. न्याय संगत समानता के आधार पर सभी योग्य विद्यार्थियों विशेषतः वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को समग्रता पूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
2. आंतरिक व स्थानीय स्रोतों के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा अनुकूलतम शिक्षण वातावरण का निर्माण करना व विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करना।
3. नवीनतम शिक्षा सिद्धांतों एवं तकनीकी जैसे आईसीटी और अन्य डिजिटल माध्यमों के उपयोग से महाविद्यालय के भौतिक व अकादमिक आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन का सुदृढ़ीकरण।
4. शोध परक एवं नवाचारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए फैकल्टी तथा विद्यार्थियों को ज्ञान क्षितिज के विस्तार हेतु प्रोत्साहित करना।
5. विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन एवं कार्य के प्रति दृढ़ योग्यता के लिए तैयार करना ताकि वह नजदीकी समुदाय के सतत् विकास में अपना योगदान दे सकें।
6. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, मौलिक रचनात्मकता, बौद्धिक जिज्ञासा, सेवा भाव और सतत् अधिगम के कौशल का विकास करना जिससे वह अपने भीतर अंतर्निहित निधियों को समझ सकें।

बुनियादी मूल्य

1. महाविद्यालय विकास में उच्च शिक्षा के समस्त हितधारकों की प्रतिभागिता।
2. महाविद्यालय विकास के सभी पहलूओं में आईसीटी का प्रयोग।
3. प्रतिफल आधारित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल विकास पर जोर देना।
4. सतत–विकास के लक्ष्य हेतु स्थानीय मुद्दों पर आधारित सामुदायिक सेवा व प्रसार गतिविधियों की संस्कृति को पोषित करना।
5. विद्यार्थियों में प्रगतिशील सोच के साथ स्थानीय सांस्कृतिक विरासत व भारतीय मूल्य व्यवस्था को अंतनिर्विष्ठ करना।
6. विविध सह–पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना।

1.3 महाविद्यालय संक्षिप्त परिचय

पतित पावनी कालिंदी (यमुना) के तट पर भगवान भद्रराज की पावन नगरी नैनबाग में सम्पूर्ण जौनपुर एवं जौनसार क्षेत्र में उच्च शिक्षा की रश्मियां बिखेरने वाले इस महाविद्यालय की स्थापना उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–2771/मा.स.वि./2001 दिनांक 10 अगस्त 2001 को की गई थी। शासनादेश संख्या–474/उच्च शिक्षा/2003–3 (42)2002 दिनांक 19 सितंबर 2003 द्वारा कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों में स्वीकृति के पश्चात बी0ए0 प्रथम वर्ष की कक्षाओं में कुछ छात्र–छात्राओं, प्राचार्य, प्राध्यापकों से इस संस्था का शुभारंभ हुआ। तब से महाविद्यालय रूपी यह पौधा क्षेत्र की जागरूक जनता के सहयोग से सिंचित होता रहा है और आज अपने समस्त स्टाफ सहित यह एक वटवृक्ष बनता जा रहा है, जिसकी छाया में विद्यार्थी ज्ञान का पाठ पढते हैं। वर्तमान में प्राचार्य, प्राध्यापकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल 19 पद सृजित हैं। स्थापना वर्ष से यह महाविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल से सम्बद्ध था। परंतु वर्तमान में शिक्षण सत्र 2018–19 से यह श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल से सम्बद्ध है।

स्थापना वर्ष के समय से महाविद्यालय का अपना भवन न होने के कारण यह महाविद्यालय सामुदायिक विकास भवन में 14 वर्षों तक संचालित होता रहा। वर्ष 2014–15 में महाविद्यालय के अपने भवन का निर्माण टटोर ग्राम के स्थानीय जनता द्वारा दान की गयी एक हेक्टेयर भूमि पर प्रारम्भ हुआ था। इस प्रयास का सुफल यह हुआ कि शैक्षिक सत्र 2017–18 से नवीन महाविद्यालय भवन अध्ययन हेतु उपलब्ध हो गया। साथ–साथ रूसा (राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत महाविद्यालय भवन परिसर में आधुनिक (हाईटैक) तकनीकी स्मार्ट क्लासेज आधारित कक्ष हैं जिसके माध्यम से वैश्विक तकनीकी, सूचना, व्यवहारिक एवं व्यवसायी शिक्षा में छात्र शिक्षक वृहद एवं उच्चकोटि का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। महाविद्यालय अपने सीमित संसाधनों के फलस्वरूप सम्पूर्ण जौनपुर क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। हिन्दी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र में प्रत्येक विषय में 120 सीटें व अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल प्रत्येक में 60 सीटें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत हैं। महाविद्यालय में सभी विषयों में प्राध्यापक उपलब्ध हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में प्राचार्य, 07 शिक्षक व 11 शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं।

जिला मुख्यालय टिहरी से इस महाविद्यालय की दूरी 113 किमी तथा रेलवे स्टेशन देहरादून से 90 किमी है। महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग– 507 (यमुनोत्री मार्ग) से 1500 मीटर नैनबाग–घोड़ाखुड़ी मार्ग पर स्थित है। समुद्रतल से इसकी ऊँचाई 850 मीटर है। नैनबाग क्षेत्र जौनपुर, जौनसार व रवांई तीनों ही क्षेत्र का संगम है व विशाल सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। इसके निकट अनेक विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय क्षेत्र मौजूद हैं, यथा– मसूरी, कैम्प्टी फॉल, नागटिब्बा मंदिर, लाखामंडल इत्यादि। थत्यूड़, कैम्प्टी, धनौल्टी (टिहरी गढ़वाल), मसूरी (देहरादून), नौगांव, पुरोला, बड़कोट, बनचौरा (उत्तरकाशी) इत्यादि स्थान यहां से लगभग 60 किमी के दायरे में हैं।

वर्तमान में महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं व स्टॉफ हेतु पर्याप्त फर्नीचर, कार्यालय, परीक्षा, पुस्तकालय व भूगोल हेतु कम्प्यूटर, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें, ई–ग्रन्थालय, आई0 सी0 टी0 युक्त शिक्षण कक्ष, विद्यार्थियों हेतु कम्प्यूटर लैब, शुद्ध फिल्टर्ड पेयजल व छात्र–छात्राओं हेतु अलग–अलग स्वच्छ शौचालय, सी0सी0टी0वी0 युक्त सुरक्षित परिसर की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास किये गये हैं, जिसके तहत सौर उर्जा पैनल, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वर्मी कंपोस्ट पिट, कचरे हेतु अलग–अलग डस्टबिन व पौधारोपण संबंधी कार्य किये गये हैं। विद्यार्थियों को जैविक खेती के गुण सिखाने हेतु उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद देहरादून व नारायणी नक्षत्र पौधशाला नैनबाग के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर भी किया गया है। विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु एन0 एस0 एस0, कैरियर काउंसलिंग सेल, मेण्टरशिप, विभागीय परिषद, क्रीड़ा व सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधा भी उपलब्ध है।

शिक्षण सत्र 2022–23 से महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया गया है, जो च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सी0बी0सी0एस0) के तहत सेमेस्टर आधारित शिक्षण पद्धति है। इसके तहत विद्यार्थियों हेतु मेजर कोर, मेजर इलेक्टिव, माइनर इलेक्टिव, वोकेशनल, सह–पाठ्यक्रम व प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

4.4 महाविद्यालय में उपलब्ध विषय व सीट

वर्तमान में महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातक स्तर पर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। उपलब्ध विषयों व उनमें स्वीकृत सीटों की संख्या निम्न सारणी में दी गयी है।

क्रम संख्या	विषय	सीटों की संख्या
01	हिन्दी	120
02	इतिहास	120
03	समाजशास्त्र	120
04	राजनीति विज्ञान	120
05	अंग्रेजी	60
06	अर्थशास्त्र	60
07	भूगोल	60

इस प्रकार वर्तमान में प्रत्येक विद्यार्थी को तीन मेजर विषय आवंटित करने पर समस्त विषयों में अलग–अलग उपलब्ध सीटों के आधार पर स्नातक प्रथम वर्ष में कुल सीटों की संख्या लगभग 220 है।

अध्याय–2
महाविद्यालय हेतु सामान्य प्रवेश नियम
(शैक्षणिक वर्ष 2023–2024 से प्रभावी)

2.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (Online) पद्धति से प्रवेश प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

2.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

2.3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसिलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व महाविद्यालय द्वारा जारी कर दी जाएगी। महाविद्यालय में अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित की जाएगी और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर महाविद्यालय स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

2.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय महाविद्यालय में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

2.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

2.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

2.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा उसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

2.8 प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

2.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

2.10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) महाविद्यालय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

2.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

1) महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	05 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

2.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदत्त की जाएंगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days
(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
(iii) Waiving of domicile requirements.

2.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/ सगा भाई/बहन	20 अंक
(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई/बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/ सगाभाई/बहन	20 अंक
(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च) अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक

(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक

(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

2.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् महाविद्यालय स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

2.15 महाविद्यालय में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) व सी0 सी0 के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर महाविद्यालय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

2.16 क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा प्राचार्य की संस्तुति पर माननीय कुलपति द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु महाविद्यालय में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

2.17 अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात् विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा।

2.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्याय–3
महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम
(शैक्षणिक सत्र 2023–2024 से प्रभावी)

3.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।
उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
(क) कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :–
(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)
(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट
(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।
(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/ महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2–1 (क) के अनुसार योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं संबंधित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

3.2 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त

प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्य की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

3.3 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

3.4 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

3.5 The candidates for the Under-Graduate programs shall have to choose two compulsory subject (Major core) and one optional subject (Major elective) combinations as per the group-scheme provided below.

For Bachelor of Art (B.A.) :

(i) A candidate has to opt for two major subjects (major core) from the group mentioned below by taking one subject from any group.

(ii) A candidate has to choose the third subject (Major elective) from the groups other than selected for earlier two subjects (own faculty) or from the *other faculty. *Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.

A	B	C	D	E	F
• English Literature • Sanskrit Literature	• Drawing and Painting • Economics • Home Science • Physical Education • Psychology • Anthro-pology • Military Science	•Geogra-phy •History •Music •Yoga	• Education • Sociology • Philosopy	• Hindi Literature	• Political Science

वैधानिक नियन्त्रण –

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

प्रारूप (क)
छात्र द्वारा शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूँगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूँगा/लूँगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।

4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)
पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती .....
जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता/अभिभावक

अध्याय–4
महाविद्यालय के सामान्य नियम व सुविधाएं

4.1 अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को पूर्णतः अनुशासित रह कर महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास परिचय पत्र का होना आवश्यक है जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है।
3. किसी भी छात्र/छात्रा के द्वारा महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करना तथा किसी भी प्रकार के हड़ताल को समर्थन देना अुनशासनहीनता माना जाएगा।
4. महाविद्यालय की सम्पति को क्षति पहुँचना तथा क्षति पहुँचाने का प्रयास करना, अध्ययन तथा अध्यापन में व्यवधान पहुँचाना, दीवारों पर पोस्टर लगाना या लिखना, लड़ाई, झगड़ा व मारपीट करना, महाविद्यालय परिसर में शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना या उसे बिगाड़ने का प्रयत्न करना दण्ड़नीय अपराध है।
5. उपर्युक्त किसी भी व्यवस्था के पूर्ण या आंशिक उल्लंघन/अवहेलना करने पर दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रावधानानुसार दण्ड़ित–निलम्बित, निष्कासित अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

छात्र/छात्राओं के लिए अन्य निर्देश

महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि–

1. वे प्रतिदिन सूचना पट्ट पर अंकित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करते रहें। साथ ही महाविद्यालय के वेबसाइट को भी देखते रहें।
2. किसी भी समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम विभाग प्रभारी या कार्यालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें।
3. महाविद्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अनुशासित व्यवहार एवं आचरण बनाये रखें।
4. महाविद्यालय में जो भी धन जमा किया जाय उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की क्षति के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. शुल्क जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखवाना सम्बन्धित विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

6. महाविद्यालय में 180 दिन का वार्षिक अध्यापन तथा प्रतिदिन महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित होनी आवश्यक है।

उपस्थिति नियम :–

शासनादेश संख्या 5228(1)15–(उच्च शिक्षा)1/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि व्याख्यान कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता। भूगोल जिसमें प्रयोगात्मक कक्षाएं होती हैं, प्रयोगात्मक कार्य की अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि वांछित उपस्थिति में कमी के कारण विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाता है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित छात्र/छात्रा का होगा।

4.2 छात्रों हेतु सुविधाएं

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) :– छात्रों के विकासोन्मुखी इस पाठ्येत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज सेवा के विभिन्न कार्य जैसे श्रमदान, पर्यावरण संवर्धन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अनुसूचित जाति कल्याण, साक्षरता, रक्तदान, एड्स जागरूकता आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। वर्तमान में एन0एस0एस0 में अधिकृत प्रवेश स्थान 100 है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा 6 विभागों में राष्ट्रीय सेवा योजना के "बी" एवं "सी" प्रमाण पत्र धारक स्वयंसेवियों को सेवा नियुक्ति में वरीयता/अधिमान दिया जाना प्रस्तावित है।

(2) क्रीड़ा परिषद :– महाविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन के साथ ही खेलकूद की विभिन्न गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। जिसमें समस्त छात्र/छात्राओं के प्रतिभाग का प्रावधान है।

(3) सांस्कृतिक परिषद :–विद्यार्थियों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस परिषद का गठन किया गया है। यह कार्य महाविद्यालय में 'सांस्कृतिक' समिति द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के द्वारा सम्पन्न होता है। यह समिति नियमित अन्तराल पर लोकगायन, लोकनृत्य, कविता आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित करती है जिसमें भाग लेकर छात्र/छात्राएं अपनी सांस्कृतिक अभिरूचि का प्रदर्शन तथा पोषण करते हैं।

(4) छात्रसंघ :–छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या–S.L.P.(Civil) N024295/2004/ दिनांक 24.06.2004 जो अपने महाधिवक्ता भारत सरकार के पत्र संख्या–4240 दिनांक 23.10.2006 द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा

सचिव उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या–184/xxxiv(6) 2007.3 (168) 2001 दिनांक 27.02.2002 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के संबन्ध में लिंगदोह समिति द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर छात्रसंघ के चुनाव सम्पन्न होंगे।

(5) कैरियर काउंसलिंग व प्लेसमेंट प्रकोष्ठ :– महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को रोजगार सम्बन्धी परामर्श देने के लिए इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

(6) रेड रिबन क्लब :–महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब के माध्यम से छात्र/छात्राओं में एड्स व स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

(7) महिला प्रकोष्ठ (Women Cell) :– महाविद्यालय में कार्यरत महिला प्राध्यापक, कर्मचारी व अध्ययनरत छात्राओं के शोषण व उत्पीड़न से बचाव व सुरक्षा एवं संबंधित समस्त शिकायतों का निवारण इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

(8) छात्र शिकायत प्रकोष्ठ :– महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सभी प्रकार के शिकायतों को दूर करने की जिम्मेदारी का निर्वहन इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

(9) एण्टी–रैगिंग समिति :– रैगिंग एक कानूनन अपराध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किये हैं कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान एक रैगिंग विरोधी समिति गठित करे जो कि रैगिंग जैसे अमानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत पर अपराधी को दण्ड़ित करना सुनिश्चित करे।

(10) विभागीय परिषद :– महाविद्यालय के समस्त विभागों द्वारा विभागीय परिषद का गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत परिषदों द्वारा संबंधित विषय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं व क्रिया–कलापों का आयोजन किया जाता है।

(11) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति :– महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को समाज कल्याण द्वारा यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाता है जिसकी सूचना महाविद्यालय द्वारा प्रसारित की जाती है।

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेखों की सूची निम्नवत है:

(1) गतवर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र की प्रमाणित प्रति।

(2) निम्न तथ्यों के साक्ष्य में रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित संलग्न किया जाना आवश्यक है।

(i) गैप (Gap) के सम्बन्ध में शपथ–पत्र

(ii) समकक्ष/अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त न करने के सम्बन्ध में।

(iii) छात्र/छात्रा स्वयं की आय सम्मिलित करते हुए छात्र के परिवार के समस्त स्रोतों से कुल मासिक आय (iv) कहीं भी पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत न होने के सम्बन्ध में।

(v) छात्र/छात्रा के शासकीय/गैर शासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी स्रोतों से कुल मासिक वेतन (वेतन, महंगाई, भत्ता, महंगाई वेतन तथा अन्य भत्तों सहित) वेतन प्रमाण पत्र (वेतन स्लिप) की प्रमाणित प्रति।

(vi) अन्य राज्य या स्रोत से छात्रवृत्ति न प्राप्त करने की शपथ।

(3) छात्र/छात्रा का प्रमाणित फोटो।

(4) छात्र/छात्रा की कक्षा में प्रवेश तिथि।

(5) स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्यलिपि।

(6) जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(7) छात्र/छात्राओं का स्टेट बैंक का खाता संख्या एवं पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।

(12) अनुशासन मंडल :– अनुशासन मण्डल महाविद्यालय में स्वच्छ एवं अनुशासित शैक्षिणिक वातावरण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। समय–समय पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा नियम बनाये जाते हैं, जिसका अनुपालन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। अनुशासन मण्डल का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। किसी भी विद्यार्थी द्वारा अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासन मण्डल का पूर्ण अधिकार है कि वह विद्यार्थी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करे।

(13) पुस्तकालय :– पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थी को स्वयं अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना पुस्तकें निर्गत नही की जायेगी। पुस्तकें उपलब्ध होने पर स्नातक स्तर पर 03 पुस्तकें निर्गत की जायेंगी। पुस्तकालय द्वारा मांगे जाने पर विद्यार्थी को तत्काल पुस्तकें वापिस करनी होंगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखना विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाये, गंदी हो जाये या नष्ट हो जाए तो विद्यार्थी को नई पुस्तक क्रय कर पुस्तकालय में जमा करनी होगी। विद्यार्थी को निर्गत पुस्तकें परीक्षा शुरू होने से पूर्व पुस्तकालय में जमा करवानी होंगी। विद्यार्थी को केवल उनके विषय से सम्बन्धित पुस्तकें ही निर्गत की जायेंगी।

(14) ड्रेस कोड :– महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं हेतु ड्रेस कोड निर्धारित है। छात्राओं को कत्थई/ब्राउन कुर्ता के साथ सफेद सलवार व दुपट्टा तथा छात्रों को कत्थई/ब्राउन पैंट के साथ सफेद कमीज धारण करना होगा। समस्त छात्र–छात्राओं को उपरोक्त निर्धारित पोशाक में ही महाविद्यालय में प्रवेश अनुमन्य होगा।

4.3 शुल्क विवरण

1. शासनादेश संख्या–50/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 12 मई 2003 तथा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) के पृ0सं0 डिग्री बजट/1000/94/2003–04 दिनांक 21 मई 2003 के अनुपालन में शिक्षण सत्र 2003–2004 से बालिकाओं को शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान की गई है।
2. महाविद्यालय में शुल्क की दरें निम्नलिखित हैं। इन दरों में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।
3. प्रवेशार्थी द्वारा पूरे सत्र का शुल्क प्रवेश के समय देय होगा। शुल्क विवरण निम्नवत है–

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नैनबाग, टिहरी गढवाल

शुल्क विवरण वर्ष– 2023–2024

क्र0 सं0	शुल्क विवरण	बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर		बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर		बी0ए0 तृतीय वर्ष	
		बिना प्रयोगात्मक विषय शुल्क	प्रयोगात्मक विषय शुल्क	बिना प्रयोगात्मक विषय शुल्क	प्रयोगात्मक विषय शुल्क	बिना प्रयोगात्मक विषय शुल्क	प्रयोगात्मक विषय शुल्क
राजस्व शुल्क							
01	प्रवेश शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
02	महगाई शुल्क	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
03	प्रयोगशाला शुल्क	–	240.00	–	240.00	–	240.00
04	पुस्तकालय शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
05	विकास शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
06	पंखा शुल्क	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00
योग		271.00	511.00	271.00	511.00	271.00	511.00
छात्र निधि शुल्क							
07	महाविद्यालय दिवस शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
08	प्रांगण विकास शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
09	क्रीड़ा शुल्क	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
10	वाचनालय शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
11	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
12	परिचय पत्र शुल्क	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
13	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
14	कम्प्यूटर–इंटरनेट शुल्क	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
15	सांस्कृतिक परिषद	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
16	विभागीय परिषद	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
17	छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
18	कैरियर काउंसलिंग शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

19	विद्युत शुल्क	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
20	विविध शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	स्वच्छता प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
22	प्रयोगात्मक सामग्री	–	60.00	–	60.00	–	60.00
23	शिक्षक–अभिभावक संघ शुल्क	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
योग		**1035.00**	**1095.00**	**1035.00**	**1095.00**	**1035.00**	**1095.00**
महायोग		**1306.00**	**1606.00**	**1306.00**	**1606.00**	**1306.00**	**1606.00**

परीक्षा, नामांकन, उपाधि एवं पर्यावरण शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

नोट : –

1. परिचय पत्र एवं शुल्क रसीद खो जाने पर क्रमशः रू0 100.00 एवं रू0 50.00 जमा करने पर ही कार्यालय द्वारा द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है।
2. चरित्र प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत करने हेतु रू0 15.00 जमा करना होगा।

4.4 महाविद्यालय शैक्षणिक कैलेण्डर व ऐक्टिविटी कैलेण्डर

शैक्षणिक कैलेण्डर 2023–2024

क्रम संख्या	विवरण	तिथि
01	नवीन सत्र 2023–24 में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश आवेदन (ऑनलाइन समर्थ पोर्टल द्वारा)	31 मई 2023 से 02 जुलाई 2023
02	प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु काउंसलिंग व प्रवेश शुल्क जमा	06 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक
03	प्रथम सेमेस्टर शिक्षण प्रारंभ	07 अगस्त 2023 से
04	अन्य कक्षाओं में शिक्षण प्रारंभ	विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषित होने व प्रवेश के पश्चात
05	विषम सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा	04–09 दिसंबर 2023
06	विषम सेमेस्टर विश्वविद्यालय परीक्षा	विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार
07	विषम सेमेस्टर शिक्षण दिवस 07 अगस्त 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक	94 दिन
08	सम सेमेस्टर कक्षाओं का संचालन	12 फरवरी 2024
09	सम सेमेस्टर आंतरिक परीक्षा	6–11 मई 2024
10	सम सेमेस्टर विश्वविद्यालय परीक्षा	विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार
11	सम सेमेस्टर शिक्षण दिवस 12 फरवरी 2024 से 08 जून 2024 तक	90 दिन

नोटः उपरोक्त विवरण श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड व उत्तराखंड शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय होगा।

ऐक्टिविटी कैलेण्डर 2023–2024

क्रम संख्या	विवरण	तिथि / समय	आयोजक विभाग
01	वृक्षारोपण	जुलाई द्वितीय सप्ताह 2023	एन0एस0एस0 व MOU नारायणी नक्षत्र पौधशाला
02	नशामुक्ति शिविर (आउटरीच)	जुलाई अंतिम सप्ताह 2023	एंट्रीड्रग सेल व एन0एस0एस0
03	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त 2023	हिन्दी विभाग व कार्यालय
04	विद्यार्थियों हेतु कौशल विकास कार्यशाला	अगस्त अंतिम सप्ताह 2023	कौशल विकास प्रकोष्ठ व इनक्यूबेशन सेण्टर
05	शिक्षक दिवस	05 सितंबर 2023	समाजशास्त्र विभाग
06	हिमालय दिवस एवं परिसर व आसपास स्वच्छता अभियान	09 सितंबर 2023	एन0एस0एस0
07	हिन्दी दिवस	14 सितंबर 2023	हिन्दी विभाग
08	एन0एस0एस0 स्थापना दिवस	24 सितंबर 2023	एन0एस0एस0
09	नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु ओरिएण्टेशन प्रोग्राम	सितंबर अंतिम सप्ताह 2023	आई0क्यू0ए0सी0 व कैरियर काउंसलिंग
10	गांधी व लालबहादुर शास्त्री जयंती	02 अक्टूबर 2023	राजनीति विज्ञान विभाग
11	राष्ट्रीय कृमि दिवस	14 अक्टूबर 2023	एन0एस0एस0
12	नैनबाग शरद महोत्सव	नवंबर प्रथम सप्ताह 2023	सांस्कृतिक व क्रीड़ा समिति
13	पी0टी0ए0 व एलुमनी एसोसिएशन चुनाव	नवंबर प्रथम सप्ताह 2023	पी0टी0ए0 व एलुमनी एसोसिएशन समिति
14	राज्य स्थापना दिवस	09 नवंबर 2023	इतिहास व अंग्रेजी विभाग
15	संविधान दिवस	26 नवंबर 2023	राजनीति विज्ञान विभाग व एन0एस0एस0
16	महाविद्यालय गुणवत्ता संगोष्ठी	नवंबर अंतिम सप्ताह 2023	आई0क्यू0ए0सी0
17	एड्स दिवस	01 दिसंबर 2023	एन0एस0एस0
18	मतदाता जागरूकता अभियान	दिसंबर प्रथम सप्ताह 2023	एन0एस0एस0

19	क्रीड़ा समारोह	दिसंबर द्वितीय सप्ताह 2023	क्रीड़ा समिति
20	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी 2024	कार्यालय
21	विभागीय परिषद कार्यक्रम	फरवरी अंतिम सप्ताह 2024	समस्त विभागों द्वारा
22	एन0एस0एस0 विशेष शिविर	मार्च प्रथम सप्ताह 2024	एन0एस0एस0
23	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	08 मार्च 2024	राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र विभाग
24	पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल 2024	भूगोल विभाग
25	महाविद्यालय वार्षिकोत्सव व छात्रसंघ समारोह	अप्रैल अंतिम सप्ताह 2024	छात्रसंघ व सांस्कृतिक समिति
26	विश्व पर्यावरण दिवस	05 जून 2024	भूगोल विभाग

नोटः

1. **प्रत्येक माह एन0एस0एस0 /एंट्रीड्रग सेल/MGNCRE के तहत कम से कम एक आउटरीच कार्यक्रम समुदायिक विकास हेतु आयोजित किया जाएगा।**
2. **प्रत्येक माह कैरियर –काउंसलिंग व प्लेसमेंट सेल/ आई0क्यू0ए0सी0/ इनक्यूबेशन सेण्टर द्वारा कम से कम एक छात्रोपयोगी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।**
3. **समय–समय पर श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड व उत्तराखंड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उपरोक्त कार्यक्रमों में संसोधन व अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।**

अध्याय –05

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित निर्देश

बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0कॉम0 पाठ्यक्रम हेतु
(शैक्षणिक सत्र 2023–2024 से प्रभावी)

5.1. परिभाषाएं

5.1.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि। यथा बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0कॉम0, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस–सी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

5.1.2 संकाय (Faculty)–

5.1.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

5.1.2.2 विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जायेगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

5.1.3 विषय (Subject)–

5.1.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

5.1.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

5.1.4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper)–

5.1.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

5.1.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

5.2. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.2.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (own faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.2.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

5.2.4 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

5.2.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

5.2.6 माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय (own faculty or other faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

5.2.7 बहुविषयकता (Multidisplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

5.2.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गये तीन विषयों से अलग होगा।

5.2.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.2.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रतिवर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवे एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.2.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।

5.2.12 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा।

5.2.13 ऐसे महाविद्यालयों/संस्थान जहाँ पर केवल 01 ही संकाय है वहाँ विद्यार्थी अपना चतुर्थ पेपर (Minor Elective) भारत सरकार/यू0 जी0 सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्लेटफार्मों में समान क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी पूर्ण कर सकते हैं।

5.3 कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स (3X4=12 क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम) पूर्ण करना होगा।

5.4 सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course)

5.4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) करना अनिवार्य होगा ।

5.4.2 विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

5.5. मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (Open Online Course)

5.5.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 per cent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality-assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

5.5.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू. जी. सी. /उत्तराखण्ड शासन/ विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाइन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCS इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने

हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू. जी. सी./उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

5.6. शोध परियोजना (Research Project)

5.6.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारहवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी.जी.डी. आर. में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

5.6.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ट्म वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

5.6.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

5.6.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

5.6.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

5.6.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

5.7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

5.7.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

5.7.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/ फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

5.7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

5.7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है। एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

5.7.5 यदि कोई योग्य विद्यार्थी (fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण करने के लिये स्वतंत्र होगा।

5.7.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

5.7.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

5.7.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7.9 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

5.8 स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी। लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-44	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q		Qualified	
NQ		Not Qualified	

5.9. उत्तीर्ण प्रतिशत

5.9.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

5.9.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

5.9.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (Co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project) Qualifying है तथा इनके उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे।

5.9.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

5.9.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

5.9.6 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75

का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

5.9.7 किसी भी कोर्स/ पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

5.9.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

5.10. कक्षोन्नति (Promotion)

5.10.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

5.10.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी।

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षों (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Paper (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेडि्टस उत्तीर्ण कर लिये हों।

5.10.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नही गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

5.11 बैक पेपर परीक्षा

5.11.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

5.11.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

5.11.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

5.11.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहें कितने भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

5.12. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (**Explanation**) :– यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

5.13 SGPA एवं CGPA की गणना

5.13.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी ।

$SGPA\ (Sj) = \Sigma(Ci \times Gi) / \Sigma Ci$

j^{th} semester के लिए यहाँ पर –

Ci = number of credits of the ith course in jth semester

Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester

$CGPA = \Sigma(Cj \times Sj) / \Sigma Cj$

यहाँ पर –

Sj = SGPA of the jth semester

Cj = total number of credits in the jth semester

5.13.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् किया जायेगाः— **CALCULATION OF SGPA**

Subject	**Course**	**Course Type**	**Credits of Paper**	**Internal Assess-ment Max. Marks 25**	**External Assess-ment Max. Marks 75**	**Total Max Marks 100**	**Grade**	**Grade Point**	**Grade Value ****
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	6	24
	Course2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	10	20
Chemistry	Course 1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	9	36
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	9	18
Econom-ics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	8	48
History	Course 1 (Th)	Minor	4	21	60	81	A+	9	36
Cyber Security	Vocation al Course	Minor	3	20	67	87	A+	9	27
Environm ent studies and value education	Co-curricular Course	minor	2	-	64	64	-	-	Q
Total			**25**						209

**Grade Value= Grade Point X Credit

The Semester Grade Point Average (SGPA)=Total Grade Value/Total Credis=209/25=8.36 (In a semester)

Note: Take only two digits after decimal in all the calculations

Calculation of CGPA

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
Credit : 25 SGPA : 8.36	Credit : 21 SGPA : 6.08	Credit : 25 SGPA : 8.90	Credit : 21 SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) =

Total Grade Value/Total Credits

(In all the semester till now)

Thus, CGPA =

(25x 8.36 +21 x 6.08 +25 x 8.90 +21 x 7.22)/92 = 7.73

Hence, equivalent percentage = 7.73 x 9.5 = 73.44 and the Division will be First.

विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी।

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

5.14. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

5.14.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

5.14.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

5.14.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएं लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

5.15. व्याख्या खंड/वैधानिक नियन्त्रण

इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्दे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

5.16 प्रत्येक सेमेस्टर में क्रेडिट का विभाजन

Year	Semes-ter	Subject 1	Subject 2	Subject 3	Subject 4	Vocat-ional	Co-curricular	Industrial training/ Research project	Mini-mum Credit for year	Cumu-lative Credit for award
		Major Core	Major Core	Major Elective	Minor elective	Minor	Minor	Major		
		6 credit	6 credit	6 credit	4 credit	3 credit	2 credit	4 credit		
		Own faculty	Own faculty	Own /other faculty	Own /other faculty	Skill based	Quali-fying (Q)	Survey/ research		
1	I	Th-6/ Th-4,P-2	Th-6/ Th-4,P-2	Th-6/ Th-4,P-2	4	3	2 (Q)	-	46	46
	II	Th-6/ Th-4,P-2	Th-6/ Th-4,P-2	Th-6/ Th-4,P-2		3	2 (Q)	-		Certificate in faculty
2	III	Th-6/ Th-4,P-2	Th-6/ Th-4,P-2	Th-6/ Th-4,P-2	4	3	2 (Q)	-	46	92
	IV	Th-6/ Th-4,P-2	Th-6/ Th-4,P-2	Th-6/ Th-4,P-2		3	2 (Q)	-		Diploma in faculty
3	V	2 Th-5 2Th-4, 1P-2	2 Th-5 2Th-4, 1P-2	-	-	-	2 (Q)	4 (Q)	40	132
	VI	2 Th-5 2Th-4, 1P-2	2 Th-5 2Th-4, 1P-2	-	-	-	2 (Q)	4 (Q)		Bachelor in faculty
4	VII	4Th-5/ 4Th-4, 1P-4	-	-	4	-	-	4	52	184
	VIII	4Th-5/ 4Th-4, 1P-4	-	-		-	-	4		Bachelor research in faculty
5	IX	4Th-5/ 4Th-4, 1P-4	-	-	-	-	-	4	48	232
	X	4Th-5/ 4Th-4, 1P-4	-	-		-	-	4		Master in faculty
6	XI	2Th-6	Research Method-ology-4	-	-	-	-	4 (Q)	16	248 PG Diploma in Research in subject
6 7 8	XII-XVI	-	-	-	-	-	-	Ph.D. thesis	-	Ph.D. in subject

महाविद्यालय परिवार

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों, प्राध्यापकों व कर्मचारियों की सूची

प्राचार्य — प्रो0 (डॉ0) सुमिता श्रीवास्तव

- हिन्दी विभाग — डॉ0 मन्जू कोगियाल (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- भूगोल विभाग — डॉ0 ब्रीश कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- अर्थशास्त्र विभाग — श्री परमानंद चौहान (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- समाजशास्त्र विभाग — श्री संदीप कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- इतिहास विभाग — डॉ0 दिनेश चन्द्र (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- राजनीति विज्ञान विभाग — डॉ0 मधु बाला जुवाँठा (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- अंग्रेजी विभाग — श्री चतर सिंह (नितांत अस्थायी)

कार्यालय

- श्रीमती रेशमा बिष्ट — वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
- श्री सुशील चन्द्र — कनिष्ठ सहायक (उपनल)
- श्री अनिल सिंह — अनुसेवक
- श्री रोशन सिंह रावत — अनुसेवक (उपनल)
- श्री मोहनलाल — स्वच्छक/चौकीदार (उपनल)

पुस्तकालय

- श्री विनोद कुमार — सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
- श्री दिनेश सिंह — पुस्तकालय लिपिक (उपनल)
- श्रीमती रीना — पुस्तकालय परिचर (उपनल)

भूगोल विभाग

- श्री भुवन चन्द्र — प्रयोगशाला सहायक (उपनल)

ECONOMICS
GEOGRAPHY